महेश / उमराव नं 16/18

29/9/22 पंजीकृत पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने वाद पत्र में प्रार्थनापत्र पेश किया कि वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये बगैर NOT PRESS में खारिज किया जाता है। वाद मौखिक खारिज बाद रहे।

महेशचन्द
29-9-22

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)